फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्र संख्याः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2016 / 3291   दिनांक : 07.12.2016

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गनपत सहाय पी0जी0 कालेज,
सुलतानपुर।

विषयः–स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत **परास्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय** के विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र दिनांक **08.10.2016** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की हे कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत / अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र	नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	शै0 योग्यता	विषय
1.	श्री महेश कुमार तिवारी	श्री राम सिंगार तिवारी	07.10.1986	नेट	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र
2.	डॉ0 (श्रीमती) संध्या श्रीवास्तव	श्री अविनाश चन्द्र	31.01.1966	पी0एच–डी0	विभागाध्यक्ष बी0एड्0
3.	श्री मनोज कुमार निषाद	श्री जयमल निषाद	03.08.1991	परास्नातक	बी0एड्0 प्रवक्ता ललित कला
4.	शालिनी सिंह	श्री सूर्यभान सिंह	15.06.1991	परास्नातक	बी0एड्0 प्रवक्ता निष्पादन कला
5.	श्री राम धनी	श्री सुरेन्द्र नाथ यादव	15.06.1985	एम0पी0एड्0	बी0एड्0 प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव